संख्या-80/2019/1530/छप्पन-2019-40/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कैप्टन दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 23 नवम्बर, 2019 से 26 नवम्बर, 2019 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-152/ना0उ0नि0/आप्स-20/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2019 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0 सं0	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क
1	कैप्टन दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग)	23 नवम्बर, 2019 से 26 नवम्बर, 2019 तक	अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली	10,25,100/-

उक्त तालिकानुसार कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 11390.00 यूरो रू0 90/- प्रति यूरो की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 10,25,100/- (रूपए दस लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 2,65,700/- (रूपए दो लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 12,90,800/- (रूपए बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2019-20 में कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 23 नवम्बर, 2019 से 26 नवम्बर, 2019 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड,

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इटली में इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग एवं क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 10,25,100/- (रूपए दस लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय एवं वायुयान किराया आदि पर होने वाले व्यय रूपये 2,65,700/- (रूपए दो लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र) अर्थात् कुल रूपये रू0 12,90,800/- (रूपए बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :ई-7-647/दस-2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

9- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-80/2019/1530(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार /इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।